



भा.कृ.अनु.प – केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान
ICAR – CENTRAL ISLAND AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE
बाथूबस्ती, गाराचरमा डाकघर, श्री विजयपुरम – 744105
Bathu Basti, Garacharma P.O, Sri Vijaya Puram – 744105
Phone: 03192 – 250436; 250235
Email: hoa.ciari@nic.in, director.ciari@icar.org.in, Website: <http://ciari.res.in>

F. No. 57(9)/21-22/Estate

Date: 12.06.2026

ENLISTMENT OF CONTRACTORS

In partial modification of the Institute's notice of even number dated 09.06.2026, the Competent Authority of the Institute is pleased to approve the enlistment of the following firms/contractors in the approved panel of the Institute for the purpose of inviting Limited Tender Enquiries for civil and repair works costing less than ₹10.00 lakh, in accordance with the provisions of the General Financial Rules (GFR), 2017.

The details of the approved firms/contractors are as follows:

Name and Address	Mobile	Email
M/s Geeta Furniture, Govt. & Private Order Supplier & Quality furniture manufacturer, Dollygunj, Industrial Estate, Sri Vijaya Puram, A&N Islands – 744103	9933288929	geetafurnituretender@gmail.com
M/s Jaisankar Industries, Industrial Estate, Shed C-2, Bathu Basthi, Garacharma, Sri Vijaya Puram – 744105	03192250467 /9434284767	jaisankarindustriespb@gmail.com
Shri S. Sathaiah, Pathargudda, Garacharma (P.O), Sri Vijaya Puram, A&N Islands – 744105.	9474232551	sathaiahs1954@gmail.com
M/s Ram Chandra Mondal, Govt. Contractor, APWD, Kaushalya Nagar, N&M Andaman - 744205	7063945115 /9474233910	ramchandramondalpb@gmail.com
M/s S. Kannan, Anarkali Basthi, Sri Vijaya Puram, South Andaman - 744101	9933223997/ 9476064527	kannan2svk@gmail.com
M/s New Mondal Enterprises, Dollygunj, Polytechnic Road, Sri Vijaya Puram - 744103	03192259008/ 9679527595	newmondalenterprises@gmail.com
M/s C. Nagarajan, Govt. Civil Contractor, 3/5, D.P. Street, Lillipur, Post Box No. 647, Haddo (Post), Sri Vijaya Puram, A&N Islands – 744102	9434281909/ 7063927270	constructioncnr1969@gmail.com
M/s Amal Barman, CARI Road Village, Bathu Basthi, Garacharma (P.O), South Andaman – 744 105	9679508844	bamal0257@gmail.com
M/s Roy Constructions, Near Range Office, Bathu Basti, Sri Vijaya Puram, South Andaman- 744105	9434267498, 8697655018	rnroy2424@gmail.com
M/s V.S.K. Builders, D. P Street, Lillypur, Near Mosque, Haddo, Sri Vijaya Puram – 744102	9933277175	vsandeepkumar1983@gmail.com
M/s M. Selva Kumar, Building no. C-288, New Pahargaon, Near Old Police Station, Satellite Township Colony Street (Road), Garacharma Post, Sri Vijaya Puram– 744105	9474271251, 9933211198	mselvak643@gmail.com
Shri. V. Pradeep Kumar, D P Street, Lillypur, Near Mosque, Haddo, Sri Vijaya Puram - 744102	9933251068	vpradeepk1977@gmail.com

M/s Barman Enterprises, CIARI Road, Bathu Basti, Sri Vijaya Puram-744105	9933207241	barmandineshch5@gmail.com
M/s Island Structure, 165/21/2, Kamraj Nagar, Calicut, Sri Vijaya Puram – 744105	9679547195/ 9679538188	islandstructure@gmail.com

Terms and Conditions:

1. The firms / contractors shall be required to deposit earnest money with each individual tender.
2. The firms / contractors shall be required to submit performance guarantee before award of the work and security deposit will be recovered from their bills in accordance with the rules in force from time to time.
3. It is contractor's responsibility to keep all the licenses / registrations / certificates issued by various authorities in live. Contractor should produce all the renewed licences / registrations / certificates to the Institute well before their expiry. The name, address and other particulars of the Contractors / firms / company should exactly match with those mentioned in all the licenses / registrations / certificates issued by various authorities.
4. Contractor should be well acquainted with all existing Acts, rules and regulations, orders and byelaws including all statutory Amendment and Enactment of State or the Central Government or local authority and including the following:
 - Bonded labour system (Abolition) Act, 1976 along with Rule, 1976.
 - Building and other construction works (Regulation of Employment and conditions of Service) Act, 1966 along with Cess Act, and Rules.
 - Child labour (Prohibition & Regulation) Act, 1986 along with Rules, 1988 and children (Pledging of labour) Act, 1933.
 - Contract labour (Regulation & Abolition) Act, 1970 along with Rules, 1971.
 - Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 along with EPF scheme, 1952 with allied schemes, Rules and forms.
 - Employees' State Insurance Act, 1948 along with Central Rules, 1950 and Regulation, 1950.
 - Equal remuneration Act, 1976 along with allied rules.
 - Factories Act, 1948.
 - Fatal Accidents Act, 1855.
 - Industrial Disputer Act, 1947 along with (Central) Rules, 1957 and allied Rules.
 - Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946 along with Rules, 1946.
 - Interstate Migrant Workman (Regulation of employment and conditions of Service) Act, 1979 along with Rules, 1980.
 - Maternity Benefit Act, 1961 along with Rules 1963.
 - Minimum Wages Act, 1948 with State Amendments along with Central Rules, 1950.
 - Motor Transport Workers Act, 1961.
 - Payment of Bonus Act, 1965 along with Rules, 1975.
 - Payment of Gratuity Act, 1936 along with (Procedure) Rules, 1937.
 - Public Provident Fund Act, 1968.
 - Trade Unions Act, 1926 along with Central Trade Unions Regulations, 1938.
 - Weekly holidays Act, 1942.
 - Workman's Compensation Act, 1923 along with allied rules.
 - Code on Social Security, 2020.
5. The enlistment is liable to revocation or cancellation if it is found at any time that the particulars furnished by the Contractor are false.

6. In the case of more than one occasion failed to execute a contract / work or has executed it unsatisfactorily (or)
- Fails to abide by the conditions of contract / work order or is found to have given false information.
 - Persistently violates any important condition(s) of the contract / work order (or)
 - Is proved to be responsible for execution the works with defects in a number of cases (or)
 - Is declared or in the process of being declared bankrupt or insolvent, or wound up or dissolves or partitioned (or)
 - Persistently violates the labour regulation and rules.
 - Fail to execute contract or executes it unsatisfactorily or is proved to be responsible for constructional defects.
 - There are sufficient and strong reasons to believe that the Contractor or his employee has been guilty or malpractice(s) such as irregular practices including formation of ring, bribery corruption and fraud including substitution and in tenders smuggling, pilfering or unauthorized use of disposal of Department materials issued for specific work.
 - Contractor or his partner or his representative has been convicted by a court of law for offence involving moral turpitude in relation to business dealing(s).
7. The firms shall execute the awarded work(s) strictly as per the work details and terms and conditions stipulated in the work order(s) as and when awarded.

Kanishk
12/6/26
प्रशासनिक अधिकारी
मो. क्रि. अ. दु. श्री विजया पुरम, पोर्ट ब्लेयर
Administrative Officer
ICAR-CIARI, Port Blair

Copy to:

1. All the above concerned firms / contractors.
2. The Assistant Labour Commissioner (Central), Dollygunj, Sri Vijaya Puram for information. E-mail: alcp-dyclckol@nic.in
3. The In-charge Estate Section, ICAR-CIARI, Sri Vijaya Puram.
4. The Finance & Accounts Officer, ICAR-CIARI, Sri Vijaya Puram.
5. The Administrative Officer (Works), ICAR-CIARI, Sri Vijaya Puram.
6. The Drawing & Disbursing Officer, ICAR-CIARI, Sri Vijaya Puram.
7. The Vigilance Officer, ICAR-CIARI, Sri Vijaya Puram.
8. P.S. to the Director for information of the Director, ICAR-CIARI, Sri Vijaya Puram please.



भा.कृ.अनु.प - केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान
ICAR - CENTRAL ISLAND AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE
बाथूबस्ती, गाराचरमा डाकघर, श्री विजयपुरम - 744105
Bathu Basti, Garacharma P.O, Sri Vijaya Puram - 744105
Phone: 03192 - 250436; 250235

Email: hoa.ciari@nic.in, director.ciari@icar.org.in, Website: <http://ciari.res.in>

फाइल संख्या: 57(9)/21-22/Estate

दिनांक: 12.06.2026

ठेकेदारों का पंजीकरण (Enlistment of Contractors)

संस्थान की समसंख्या की दिनांक 09.06.2026 की सूचना में आंशिक संशोधन करते हुए, संस्थान के सक्षम प्राधिकारी द्वारा सामान्य वित्तीय नियम (GFR), 2017 के प्रावधानों के अनुसार ₹10.00 लाख से कम लागत के सिविल एवं मरम्मत कार्यों हेतु सीमित निविदा आमंत्रित करने के लिए निम्नलिखित फर्मों/ठेकेदारों को संस्थान की अनुमोदित सूची में सूचीबद्ध (Empanelled) किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

अनुमोदित फर्मों/ठेकेदारों का विवरण निम्नानुसार है:

नाम एवं पता	मोबाइल नंबर	ई-मेल आईडी
मेसर्स गीता फर्नीचर, सरकारी एवं निजी आदेश आपूर्तिकर्ता एवं गुणवत्ता फर्नीचर निर्माता, डॉलीगंज, इंडस्ट्रियल एस्टेट, श्री विजयपुरम, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह - 744103	9933288929	geetafurnituretender@gmail.com
मेसर्स जैसंकर इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल एस्टेट, शेड C-2, बाथू बस्ती, गाराचरमा, श्री विजयपुरम -744105	03192250467 /9434284767	jaisankarindustriespb@gmail.com
श्री एस. सतैया, पथरगुड्डा, गाराचरमा (पो), श्री विजयपुरम, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह-744105	9474232551	sathaiahs1954@gmail.com
मेसर्स राम चंद्र मंडल, सरकारी ठेकेदार, APWD, कौशल्य नगर, N&M अंडमान	7063945115 /9474233910	ramchandramondalpb@gmail.com
मेसर्स एस. कन्नन, अनारकली बस्ती, श्री विजयपुरम	9933223997/ 9476064527	kannan2svk@gmail.com
मेसर्स न्यू मंडल एंटरप्राइजेज, डॉलीगंज, पॉलीटेक्निक रोड, श्री विजयपुरम - 744103	03192259008/ 9679527595	newmondalenterprises@gmail.com
मेसर्स सी. नगराजन, सरकारी सिविल ठेकेदार, 3/5, डी.पी. स्ट्रीट, लिलीपुर, पोस्ट बॉक्स नं. 647, हड्डो (पो), श्री विजयपुरम, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह - 744102	9434281909/ 7063927270	constructioncnr1969@gmail.com
मेसर्स अमल बर्मन, CIARI रोड, गांव-बाथूबस्ती, गाराचरमा (पो), साउथ अंडमान - 744105	9679508844	bamal0257@gmail.com
मेसर्स रॉय कंस्ट्रक्शंस, नियर रेंज ऑफिस, बाथू बस्ती, श्री विजयपुरम, साउथ अंडमान -744105	9434267498, 8697655018	rnroy2424@gmail.com
मेसर्स वी.एस.के. बिल्डर्स, डी.पी. स्ट्रीट, लिलीपुर, मस्जिद के पास, हड्डो, श्री विजयपुरम	9933277175	vsandeepkumar1983@gmail.com
मेसर्स एम. सेल्वा कुमार, बिल्डिंग नं. C-288, न्यू	9474271251,	msevak643@gmail.com

पाहरगांव, नियर ओल्ड पुलिस स्टेशन, सैटेलाइट टाउनशिप कॉलोनी स्ट्रीट (रोड), श्री विजयपुरम	9933211198	
श्री वी. प्रदीप कुमार, डी.पी. स्ट्रीट, लिलीपुर, मस्जिद के पास, हड्डो, श्री विजयपुरम	9933251068	vpradeepk1977@gmail.com
मेसर्स बर्मन एंटरप्राइजेज, CIARI रोड, बाथू बस्ती, श्री विजयपुरम	9933207241	barmandineshch5@gmail.com
मेसर्स आइलैंड कंस्ट्रक्शन, कमराज नगर, कालिकट, श्री विजयपुरम	9679547195/ 9679538188	islandstructure@gmail.com

शर्तें एवं नियम

1. प्रत्येक व्यक्तिगत निविदा के साथ फर्म/ठेकेदार द्वारा ईएमडी (Earnest Money Deposit) जमा करना अनिवार्य होगा।
2. कार्य आवंटन से पूर्व प्रदर्शन गारंटी जमा करना आवश्यक होगा तथा नियमानुसार सुरक्षा जमा राशि बिलों से वसूल की जाएगी।
3. ठेकेदार यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके सभी लाइसेंस/पंजीकरण/प्रमाणपत्र संबंधित प्राधिकरणों के साथ वैध (Live) रहें तथा उनकी नवीनीकृत प्रतियां समय पर संस्थान को प्रस्तुत की जाएं। नाम, पता एवं अन्य विवरण सभी प्रमाणपत्रों में समान होने चाहिए।
4. ठेकेदार को राज्य सरकार, केंद्र सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर लागू/संशोधित सभी प्रचलित अधिनियमों, नियमों, विनियमों, आदेशों, उपविधियों तथा वैधानिक संशोधनों एवं अधिनियमों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए तथा उनका अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। इसमें निम्नलिखित अधिनियम एवं नियमावली, किन्तु इन्हीं तक सीमित नहीं, सम्मिलित हैं।

- बंधुआ श्रम प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियम, 1976
- भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (रोजगार का विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1996 तथा इससे संबंधित उपकर (Cess) अधिनियम एवं नियम
- बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 तथा नियम, 1988 एवं बालक श्रम गिरवीकरण अधिनियम, 1933।
- संविदा श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 तथा इसके नियम, 1971
- कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध उपबंध अधिनियम, 1952 तथा कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 एवं उससे संबंधित सभी योजनाएँ, नियम एवं प्रपत्र।
- कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 तथा केंद्रीय नियम, 1950 एवं विनियम, 1950
- समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 तथा उससे संबंधित नियम।
- कारखाना अधिनियम, 1948
- घातक दुर्घटना अधिनियम, 1855
- औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 तथा केंद्रीय नियम, 1957 एवं अन्य संबद्ध नियम।
- औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 तथा इसके नियम, 1946
- अंतरराज्यीय प्रवासी कर्मकार (रोजगार का विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979 तथा इसके नियम, 1980
- प्रसूति लाभ अधिनियम, 1961 तथा इसके नियम, 1963
- न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, राज्य संशोधनों सहित, तथा केंद्रीय नियम, 1950
- मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961
- बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 तथा इसके नियम, 1975
- उपदान (ग्रेच्युटी) भुगतान अधिनियम, 1972 तथा उससे संबंधित प्रक्रिया नियम।

- लोक भविष्य निधि अधिनियम, 1968
 - व्यावसायिक संघ (ट्रेड यूनियन) अधिनियम, 1926 तथा केंद्रीय ट्रेड यूनियन विनियम, 1938
 - साप्ताहिक अवकाश अधिनियम, 1942
 - कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 (पूर्व नाम: श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम) तथा उससे संबंधित नियम।
 - सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020
5. यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत विवरण असत्य हैं, तो उनका पंजीकरण निरस्त/रद्द किया जा सकता है।
6. यदि किसी ठेकेदार ने निम्नलिखित में से किसी भी स्थिति में एक से अधिक अवसरों पर अनुबंध/कार्य का निष्पादन असफलतापूर्वक किया हो या असंतोषजनक रूप से किया हो, तो:
- अनुबंध/कार्य आदेश की शर्तों का पालन करने में विफल हो या झूठी जानकारी देने पाया गया हो।
 - अनुबंध/कार्य आदेश की किसी भी महत्वपूर्ण शर्त का लगातार उल्लंघन करता हो।
 - कई मामलों में कार्यों को दोषपूर्ण तरीके से निष्पादित करने का जिम्मेदार पाया गया हो।
 - दिवालिया, अचल या समाप्त होने की प्रक्रिया में हो, या समाप्त, विघटित या विभाजित किया गया हो।
 - श्रम नियमों और विनियमों का लगातार उल्लंघन करता हो।
 - अनुबंध को निष्पादित करने में असफल हो या असंतोषजनक निष्पादन किया हो, या निर्माण संबंधी दोषों के लिए जिम्मेदार पाया गया हो।
 - ठेकेदार या उसके कर्मचारी द्वारा अनियमित प्रथाओं जैसे रिंग बनाना, रिश्वत, भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी, निविदाओं में प्रतिस्थापन, तस्करी, चोरी या विभागीय सामग्री के अनधिकृत उपयोग/निपटान जैसी गलत प्रथाओं में लिप्त होने के पर्याप्त और ठोस कारण मौजूद हों।
 - ठेकेदार या उसका साझेदार या प्रतिनिधि व्यावसायिक लेन-देन से संबंधित नैतिक दोष वाले अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया हो।

7. फर्म द्वारा आवंटित कार्य/कार्यों का निष्पादन, कार्यादेश में वर्णित कार्य विवरण तथा उसमें निहित नियमों एवं शर्तों के अनुसार, कार्यादेश जारी होने पर समय-समय पर पूर्णतः एवं कड़ाई से किया जाएगा।

Kanishk
12/6/26
प्रशासनिक अधिकारी
Administrative Officer
ICAR-DARI, Patna

प्रतिलिपि (Copy to):

1. उपरोक्त सभी संबंधित फर्म/ठेकेदार।
2. सहायक श्रम आयुक्त (केंद्रीय), डॉलीगंज, श्री विजयपुरम को सूचनार्थ प्रेषित।
ई-मेल : alcp-dyclckol@nic.in
3. प्रभारी, एस्टेट अनुभाग, भा.कृ.अनु.प - कें.द्वी.कृ.अनु.सं., श्री विजयपुरम।
4. वित्त एवं लेखा अधिकारी, भा.कृ.अनु.प - कें.द्वी.कृ.अनु.सं., श्री विजयपुरम।
5. सहायक प्रशासनिक अधिकारी (कार्य), भा.कृ.अनु.प - कें.द्वी.कृ.अनु.सं., श्री विजयपुरम।
6. आहरण एवं संवितरण अधिकारी, भा.कृ.अनु.प - कें.द्वी.कृ.अनु.सं., श्री विजयपुरम।
7. सतर्कता अधिकारी, भा.कृ.अनु.प - कें.द्वी.कृ.अनु.सं., श्री विजयपुरम।
8. निजी सचिव, निदेशक, भा.कृ.अनु.प - कें.द्वी.कृ.अनु.सं., श्री विजयपुरम के माध्यम से निदेशक को सूचनार्थ।